

संख्या- 1015 /पॉच-8-2006-तददिनांक

शुद्ध,

शुद्धी जूधिका पाठ्यकर
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 28 मार्च, 2006

विषय- थोक एवं फुटकर औषधि विक्रय लाइसेंस के बीच निर्धारित 1:10 के अनुपात को
प्रतिष्ठित किया जाना ।

सहोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-985/16-10-91, दिनांक 26-2-1991 तथा
पत्र संख्या-1023/पॉच-8-2002-83/10/2001, दिनांक 19-7-2002 के रूप में सूत्र यह बहने
का निवेदन हुआ है कि शासन द्वारा थोक एवं फुटकर औषधि विक्रय लाइसेंस के बीच
निर्धारित 1:10 के अनुपात को प्रतिष्ठित करते हुये 1:6 का अनुपात निर्धारित करते हुये
लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कूट करें।

भवतीया,

शुद्धीका पाठ्यकर

सचिव ।

संख्या- 1015 /पॉच-8-2006-तददिनांक,

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- औषधि नियंत्रक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- सभस्त मण्डलीय उपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ ।
- 3- सभस्त मुख्य चिकित्साधिकारी ।
- 4- सभस्त औषधि अनुपापन प्राधिकारी ।
- 5- सभस्त सहायक औषधि नियंत्रक/परिष्ठ औषधि निरीक्षक, लखनऊ ।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा है,

शुद्धीका पाठ्यकर

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
उ० प्र०, लखनऊ।

खाद्य एवं औषधि नियंत्रण अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 19. नवम्बर, 2009

विषय- औषधि निर्माण इकाईयों के लाइसेन्स की स्वीकृति/नवीनीकरण/विभिन्न प्रमाण पत्रों को निर्गत करने हेतु समय-सीमा निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि संयुक्त आयुक्त (औषधि), खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र० के कार्यालय से निर्माण इकाईयों के लाइसेन्स/नवीनीकरण/विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्रों को निर्गत करने एवं औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा थोक एवं फुटकर औषधि लाइसेन्सों को निर्गत करने के सम्बन्ध में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं समयबद्धता होनी आवश्यक है। इस हेतु कार्यहित में उक्त लाइसेन्सों/प्रमाण-पत्रों को निर्गत करने के सम्बन्ध में समय-सीमा निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कार्यवाही पूर्ण हो सके। विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे उक्त निर्धारित समय-सीमा के अन्दर लाइसेन्सों की स्वीकृति/नवीनीकरण/प्रमाण पत्रों को निर्गत किया जाना सुनिश्चित करें।

2- इस सम्बन्ध में निर्धारित समय-सीमा विषयक तालिका संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सम्बन्धित अधिकारियों को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

3- उक्त समय-सीमा की 06 माह के बाद समीक्षा की जायेगी। निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन न करने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय

(दुर्गा शंकर मिश्र)
सचिव।

संख्या- 3108(1)/अटठसी-09तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त आयुक्त (औषधि), खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे औषधि नियंत्रण संगठन के समस्त अधिकारियों को उक्त की प्रति परिचालित कराने का कष्ट करें।

भाड़ा से

(संलग्नक के द्वितीय)
विशेष सचिव।

कार्यालय आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश, 9, जगतनारायण रोड, लखनऊ।

संख्या-ड्रग/3441

लखनऊ:दिनांक 04/12/2009

प्रतिलिपि समस्त सहायक औषधि नियंत्रक/वरिष्ठ औषधि निरीक्षक/समस्त औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) तथा समस्त औषधि निरीक्षकों को उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित। समय-सीमा विषयक तालिका इस पत्र के पृष्ठ भाग पर मुद्रित है।

(ए० एल आर्या)

सहायक औषधि नियंत्रक(मु०)

